

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 252/2022

श.कुमार दूत पुत्र रामेश्वर लाल पी0टी0आई0, ग्राम कोलसिया, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनू पिन कोड 333042

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी, ( जिला रसद अधिकारी ) झुंझुनू।

-- --  
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

**आदेश**

दिनांक 03.08.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 19.07.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 252/2022 पर दिनांक 19.07.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( जिला रसद अधिकारी ) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( जिला रसद अधिकारी ) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( जिला रसद अधिकारी ) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/3609-10 दिनांक 19.07.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( जिला रसद अधिकारी ) झुंझुनू ने पत्रांक आर0टी0आई0/2022/42 दिनांक 01.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री महेश कुमार दूत पुत्र श्री रामेश्वरलाल का सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2022 को कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचनायें नवलगढ क्षेत्र के ग्राम कोलसिया के संबंध में रिकवरी संबंधी सूचना चाही गई थी। कार्यालय में **fps vise** रिकवरी संबंधी सूचना संघारित नहीं होने के कारण नवलगढ क्षेत्र की रिकवरी संबंधी समस्त सूचना प्रार्थी को पत्रांक 29 दिनांक 15.06.2022 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( जिला रसद अधिकारी ) झुंझुनू ने पत्रांक आर0टी0आई0/2022/42 दिनांक 01.08.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री महेश कुमार दूत पुत्र श्री रामेश्वरलाल का सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2022 को कार्यालय में प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचनायें नवलगढ क्षेत्र के ग्राम कोलसिया के संबंध में रिकवरी संबंधी सूचना चाही गई थी। कार्यालय में **fps vise** रिकवरी संबंधी सूचना संघारित नहीं होने के कारण नवलगढ क्षेत्र की रिकवरी संबंधी समस्त सूचना प्रार्थी को पत्रांक 29 दिनांक 15.06.2022 द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 03.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 ( एल0टी0आई0 कुडी )  
 जिला कलक्टर झुंझुनू